

5/10/14

63/14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492451

Stamp
1200

Dr. Vishwanath

11/10/14

जे०पी० निषाद सोशल एवम एजुकेशनल ट्रस्ट/न्यास

आज यह न्याय विलेख दिनांक 01.10.2014 को लेखक जय प्रकाश निषाद बल्लिम पुत्र स्व० श्री सत्यदेव ग्राम व पोस्ट लक्ष्मीपुर थाना कोतवाली रुद्रपुर जिला देवरिया द्वारा लिखा गया है। हार्दयक पोस्ट मीडिया देवरिया

वास्तव में हमारी यह इच्छा है कि मैं शिक्षा के जगत में सार्वजनिक तौर पर भारत के नवयुवकों एवम अन्य ऐच्छिक व्यक्तियों के लिए एक लोक न्याय ट्रस्ट कायम करूँ जिससे सम्पूर्ण भारत में व्यक्तियों का सार्वजनिक लाभ हो और इस न्यास को कायम करने में 25000-00 पच्चीस हजार रुपये शुरुआती दौर में न्यास के नाम जमा करता है

Vishwanath



1000 65

1-10-14

स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय
स्वास्थ्य सेवा का नाम व पूरा पता (2000)
स्वास्थ्य की शर्तें
स्वास्थ्य विभाग प्रशासक गुप्ता साहू No 142
पदपूर्ति की तारीख 31.3.201
अधीन कमांडर/नर्स

विश्वविद्यालय निदेश 31 वी अप्रैल 2014
डा. ए. ए. जटगी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492470

-3-

ख- यह कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को शिक्षा देने हेतु व्यवस्था करना उसके लिए विद्यालयों का स्थापना करना तथा विद्यालयों के रख रखाव करने की योजना बनाना ग'- नैसर्गिक चिकित्सा मेडीटेशन योग शिविर आदि पर भी आवश्यकतानुसार कार्य करना तथा उसका प्रसार करना।

घ- अन्य स्कूलों कार्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों का प्रबन्धन का कार्य लेकर उस संस्थान को नये ढंग से थापित एवम रख रखाव करना तथा उसे संचालित करना।

Vishwajay





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492471

-4-

इ- प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र, एवम साक्षरता के क्षेत्र, में काम करना।

च- आवश्यकता पड़ने पर समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वार्ता चर्चा सेमीनार,संगोष्ठी सम्मेलनों एवम प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा अनुसांधान एवम अध्ययन यात्रा तथा पर्यटन इत्यादि के क्षेत्र में भी विचार करके उसके सम्बन्ध में कार्य करना।

छ- आवश्यकता पड़ने पर समाज उत्थान के लिए कलात्मक प्रदर्शन एवम अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेलकुद की व्यवस्था करना जिससे न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

Vishwanaray



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492472

—5—

ज—लोक हित में गरीब व अक्षय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति एवम पुस्तक, ड्रेस इत्यादि वितरित करने की योजना बनाना तथा आवश्यकता अनुसार पुस्तकालयों एवम सभागार व छात्रावास इत्यादि की व्यवस्था करना।

झ— समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा झेल रहे लोगोको सहायता प्रदान करना।

ट— भविष्य में परिसिथतियों का ध्यान रखते हुए लोक हीतार्थ योजना बनाकर उसका किग्रान्वयन करना।

VishvaVijay





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492473

—6—

ठ- ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों एवम योजनाओं को संचालित करने हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं संगठनो एवं व्यवस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

4- न्यास के मुख्य न्यासी तथा अन्य न्यासी निम्न होंगे।

मुख्य न्यासी

श्री विश्वविजय निषाद उम्र 26 वर्ष पुत्र श्री जयप्रकाश निषाद ग्राम व पोस्ट लक्ष्मीपुर बाया रुद्रपुर जिला देवरिया उ0प्र0

Vishwajay



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492474

-7-

न्यासीगण

- 1- श्री श्यामश्रीधर उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री टीमल प्रसाद मु0 न्यू शिवपुरी कालोनी रुस्तम पुर महानगर पालिका गोरखपुर जिला गोरखपुर।
- 2- श्रीमती आरती देवी पत्नी श्री जयप्रकाश निषाद ग्राम व पोस्ट लख्मीपुर जिला देवरिया।
- 3- श्रीमती अनिता देवी उम्र 23 वर्ष पत्नी श्री विश्वविजय निषाद ग्राम व पोस्ट लख्मीपुर जिला देवरिया।

Vishwanaray





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492475

-8-

4- श्री सूर्यनारायण उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व० श्री द्वारिका ग्राम-उतरासोत पोस्ट- सदर
गोरखपुर जिला-गोरखपुर उ०प्र०।

5- श्री विनोद निषाद उम्र 27 वर्ष पुत्र श्री दीनानाथ ग्राम ~~बिरवा~~ ^{आसनगर} पोस्ट ~~लखनौ~~ ^{पथार}
जिला -देवरिया।

6- श्रीमती गुन्जा देवी उम्र 35 वर्ष पत्नी श्री श्याम श्रीधर मु०. न्यू शिवपुरी कालोनी
रुस्तमपुर नगर महापालिका गोरखपुर जिला-गोरखपुर उ०प्र०।

7- उमरु मुल सि० होनाम प्रसाद ग्राम बिवा पो० लखनौ देवरिया

Vishwajay





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492476

-9-

5- मुख्य ट्रस्टी/न्यासी आजीवन होगा या अपने इच्छा अनुसार कार्य भार से मुक्त होगा।

1- यदि न्यासी अपनी इच्छा से अपने कार्य भार से मुक्त होना चाहते हैं तो मुख्य न्यासी अपन वंशज में से किसी को भी न्यासी बनाकर मुख्य न्यासी नियुक्त कर सकता है या जिते जी किसी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में मुख्य न्यासी नियुक्त कर सकते हैं।

2- मुख्य न्यासी के आकस्मिक निधन की दशा में मुख्य न्यासी के पद पर मुख्य न्यासी ज्येष्ठ पुत्र ट्रस्ट के लिए मुख्य न्यासी होंगे यदि किसी कारण वश या ज्येष्ठ पुत्र मुख्य न्यासी का कार्यभार नहीं ग्रहण करना चाहते हैं तो ऐसी दशा में मुख्य न्यासी के कानूनी वारिस(वसंज) से ही कोई मुख्य न्यासी होगा।

Vishwajit





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492477

—10—

- 3-न्यासियों की अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगा।
- 4- किसी न्यासी के इस्तिफा देने उसे आने तथा उसके निधन होने पर रिक्त न्यासी के स्थानों की पूर्ति करने हेतु किसी भी व्यक्ति को न्यासी नियुक्त करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।
- 5- सभी न्यासियों को कम से कम वर्ष में दो बार बैठक करना आवश्यकता है बैठक बुलाने का अधिकार मुख्य न्यासी तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का होगा। उक्त मिटिंग में न्यास के आय व्यय अथवा अन्य विषयों जिसे मुख्य न्यासी आवश्यक समझते हैं उस पर विचार विमर्श होगा।
- 6- मुख्य न्यासी द्वारा बुलाये गये बैठक में किन्ही 4 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूर्ण माना जायेगा।
- 7- यदि बैठक में मुख्य न्यासी उपस्थित नहीं होंगे या किसी कारण वस मुख्य न्यासी बैठक की अध्यक्षता न कर रहे हों तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अधिकृत कोई न्यासी बैठक का अध्यक्षता करेगा।

VishvaVidya





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 492480

-11-

- 8- बैठक में किसी बिन्दु के विवाद के स्थिति में मुख्य न्यासी का निर्णय अन्तिम होगा
9- बैठक की समस्त कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज होगा तथा हस्ताक्षरित होगा कार्यवाही रजिस्टर का लेखक मुख्य न्यासी द्वारा अधिकृत कोई न्यासी करेगा या मुख्य न्यासी स्वयं कर सकते हैं
10- यदि कोई न्यासी लगातार तीन बैठको में अकारण अनुपस्थित होगा तो ऐसी स्थिति में न्यासी को उसके पद से अवमुक्त समझा जायेगा।

प्रबन्धन

- 1- यह कि न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था, कन्ट्रोल, (नियंत्रण) मुख्य न्यासी में होगा तथा मुख्य न्यासी का कर्तव्य होगा की वह न्यासियों से विचार विमर्श कर ट्रस्ट की सम्पत्ति प्रबन्धन एवम नियंत्रण करेगा।
2- न्यास के मुख्य न्यासी को यह अधिकार होगा कि न्यास का उद्देश्य के लिए कोई भी सम्पत्ति का कय एवं विकय करने का अधिकार होगा तथा न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं का निर्माण करना अथवा उसके लिए धन की व्यवस्था तथा प्रबन्धन का पूर्ण अधिकार होगा।
3- यह कि मुख्य न्यासी को अधिकार होगा कि समय समय पर आवश्यकता अनुसार न्यासी के साथ बैठकर न्यास ट्रस्ट के लिए नियम एवम नियमावली बनाये तथा नियम एवम नियमावली को भविष्य में संशोधन करने का प्रावधान होगा।

VishvaVijay



श्रीवाणी
हस्ताक्षर

* 123 SEP 2014 *

४५
देवरिका

1,200

남으로 하가마지

विश्वनाथ

गजिन्द्रावर्ग अधिकारी के हस्ताक्षर

पी० एन० सिंह
उपनिबन्धक सदस्य
देवरिया

निवासी सा लक्ष्मी पुर हा मु पोस्टमार्टम रोड
देवरिया

मोरख-नाथ पति त्रिपाठी
निबन्धन लिपिक

गजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी० एन० सिंह
उपनिबन्धक सदस्य
देवरिया
1/10/2014



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 937571

12-

न्यासियों का शक्तियों

- 1- मुख्य न्यासी के निर्देश पर न्यास फण्ड का व्यवस्था करना ब्याज वसूलना तथा न्यास को एकत्रित करना तथा मुख्य न्यासी के आदेश पर उसे खर्च करना।
- 2- मुख्य न्यासी के निर्देश पर आवश्यक कार्य जो न्यास के सम्बन्धित हित के लिए होगा मुख्य न्यासी को यह अधिकार होगा कि वह न्यास के नाम से तथा न्यास द्वारा चलाये ये सभी विद्यालय संस्था इत्यादि के नाम का खाता खोलेगे। तथा उसका संचालन करेगा तथा बैंक के खाताओं में पैसा जमा करने व निकालने व खर्च करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।
- 3- न्यास द्वारा संचालित किये गये सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के फण्ड के धनाशि के सम्बन्ध में अलग अलग सभी प्रकार के खाते विद्यालयों के नाम से खोले जा सकते हैं जो मुख्य न्यासी के द्वारा संचालित होगा।
- 4- यह कि न्यास के द्वारा कोई विवाद प्रस्तुत किये जाते हैं या न्यास के विरुद्ध कोई वाद प्रेषित किया जाता है तो उस वाद की पैरवी की जिम्मेदारी मुख्य न्यासी पर होगा या मुख्य न्यासी किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करता है तो उक्त अधिकृत न्यासी होगा।

Vishwanath

Figure 10. The relationship between...

सुखस्य किय केली की प्रयोजन

स्टाम्प क्रैता का नाम व पूरा पता.

सुप्रसन्न मी धनराशि,

स्टाम्प विमोचन-विष्णु प्रकाश पुस्तक ला० नं० 142

स्वास्थ्यसूचक ३१.३.२०१

संश्लेषित अम्लसंश्लेषित अम्लसंश्लेषित

Registration No.: 63

Book No. : 4

जय प्रकाश

सा लक्ष्मी पुर हा मु पोस्टमार्टम रोड देवशिवा



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 937572

-13-

5- यह कि यदि न्यासी किसी अन्य सम्पत्ति को बेचने की आवश्यकता होगी तो मुख्य न्यासी न्यास की सम्पत्ति को बेच सकता है। और उस धन राशि को न्यास जमा कर सकते हैं। तथा न्यास की प्राप्ति खरीदने तथा न्यास के उत्थान में लगने का पूरा अधिकार होगा।

6- यह कि मुख्य न्यास का अधिकार होगा कि न्यास के हित एवं न्यास द्वारा चलाये गये संस्थाओं के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐच्छिक सहयोग ले सकता है तथा कोई भी अनुदान प्राप्त कर सकता है तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से भी सभी प्रकार के सहयोग एवम उनके द्वारा संचालित योगदान मुख्य न्यासी ले सकते हैं।

7- मुख्य न्यासी का यह अधिकार होगा कि न्यास की सम्पत्ति का एक एकाउंट रखे और आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा।

8- यह कि आवश्यकता अनुसार मुख्य न्यासी किसी व्यक्ति अथवा एकाउन्टेन्ट से न्यास के चल अचल सम्पत्ति का आय व्यय का व्यौरा अपने देख रेख में करता रहेगा।

9- यह कि मुख्य न्यासी को अधिकार होगा कि अन्य न्यासियों की बैठक कराकर ट्रस्ट किसी तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के उत्थान के लिए किसी बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण लेकर आगे बढ़ा सके।

यह कि यह मजनून (न्यास/ट्रस्ट) खुब सोच समझकर बिना किसी जबर दबाव

के स्वच्छ मस्तिष्क से लिख दिया कि उक्त जरूरत पर काम आवे।

नोट- यह न्यासी किसी व्यक्ति से उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यास में न्यास के हित एवं न्यास द्वारा चलाये गये संस्थाओं के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐच्छिक सहयोग ले सकता है तथा कोई भी अनुदान प्राप्त कर सकता है तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार से भी सभी प्रकार के सहयोग एवम उनके द्वारा संचालित योगदान मुख्य न्यासी ले सकते हैं।

Vishwanaray

राजेंद्र चन्दर धुब चन्दर पांडव
श्रीम वनिपनी पोस्टमिहवा, डिपटिया

बाल कृष्ण उर्फ मुन्ना धुब नंदमाल शर्मा

मजबूत काली
प्रेमोदय सिंह

1-10-014

507 76
140-4
रजम प्रकय की तिथि.....
रजम लेव फेल्ट की प्रयोगन.....
रजम लेव का नाम व पूरा पता.....
रजम की वनरति.....
रजम विकास-विष्णु प्रकाश गुप्ता सा० नं० 142
साइमस की अर्थ 31.3.201
राजीव कमाउड, देवरिया

आज दिनांक 01/10/2014 को
वही में 4 जिल्ल में 38
पृष्ठ में 43 में 68 पर कमांक 63
गजिस्ट्रीकृत किया गया ।

गजिस्ट्रीकण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी० एन० सिंह
उपनिबन्धक सदर
देवरिया
1/10/2014